न्यायालय ........................................

........................................

मुकदमा नं. ........................ बनाम ........................

| | |
|---|---|
| 20/12/24 | पत्रावली पेश। अधि. प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी नं. 1 ता 20 की तामील विधिवत हो चुकी है, बावजूद तामील हाजिर नहीं। अतः अप्रार्थी नं. 1 ता 20 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण के संयुक्त खाते काश्त की भूमि है। संयुक्त खाते काश्त, खातेदारी की भूमि पर प्रत्येक हिस्से पर प्रत्येक खातेदार का हक होता है। विवादित भूमि के मौके की स्थिति में परिवर्तन करके व हिस्सा विशेष भूमि बेचान करने पर प्रार्थी के हित प्रभावित हो सकते हैं। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि के मौके की यथास्थिति तारीख पेशी तक बनाये रखें तथा अप्रार्थी संख्या 1 से विवादित भूमि ख.नं. 1102/581, 1103/581, 579, 582, 583 कुल किता 5 कुल रकबा 2.75 हैक्टेयर वाके ग्राम बालाजी कॉलोनी नगर तहसील व जिला [illegible] की भूमि का विक्रय, दान, वसीयत नहीं करें तथा मौके अप्रार्थीगण हिस्सा विशेष भूमि का बेचान नहीं करें। पत्रावली [illegible] होकर [illegible] हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मैंने इजलास में सुनाया गया। |